

1.	विभाग—	जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), मेरठ।
2.	योजना का नाम —	<b>प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना</b>
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी—	1—इस योजना में नगर निगम/निकायो के नगरीय क्षेत्र में जिन आवेदको के कच्चे/अर्धपक्के आवास है, उन्हें तुडवाकर पक्का आवास बनवाया जाता है जिसके लिए पात्र लाभार्थी को रू0 2,50,000.00 की धनराशि किश्तो में ट्रांसफर की जाती है तथा जिन आवेदको के एक कमरा पक्का बना है उनका एक कमरा, लैट्रीन, बाथरूम, रसाई आदि बनवाये जाने हेतु रू0 2,50,000.00 के अन्तर्गत धनराशि किश्तो में दी जाती है। 2— नगरीय क्षेत्र में जो व्यक्ति किराये पर रह रहे है, उन्हें आवास दिया जायेगा। 3— जो व्यक्ति अपना स्वयं का आवास निर्माण या वृद्धि करना चाहता है, वह आवासो के लिए रू0 6.00 लाख तक के ऋण पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर से अग्रिम सब्सिडी के आधार पर दिये जाने का प्राविधान है।
4.	पात्रता की अर्हता—	1. योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक की आय * श्रेणी के अनुसार रू0 3,00,000.00 तक एवं आवासीय एरिया 30 वर्ग मी0 होना चाहिए।
5.	आवेदन की प्रक्रिया—	2.स्व श्रेणी के आवेदको को आवास बनाये जाने हेतु ऋण रू0 6.00 लाख तक 6.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार देगी, और रू0 6.00 लाख से ऊपर सब्सिडी देय नही होगी एवं आवासीय एरिया 60 वर्गमी0 होना चाहिए।
6.	लिंक वेब साईड	.
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजना अधिकारी डूडा अथवा नगर आयुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।